महत्वपूर्ण/ गंगा हरितिमा अभियान

संख्या-1/2018/394 /14-5-2018-107/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
   पंचायती राज, सूचना एवं जनसम्पर्क, संस्कृति, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, सिंचाई, आयुष विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 5 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2018

विषयः- गंगा हरितिमा अभियान (Greening the Ganga Campaign) के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय नदी गंगा के निर्मल एवं अविरल प्रवाह, उसके पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण तथा उसके तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले जनमानस के जीवन स्तर मे सुधार के उद्देश्य से संबंधित ग्रामों का समग्र विकास हेतु "गंगा हरितिमा अभियान" का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत गंगा के जलागम क्षेत्र में वानिकी गतिविधियों द्वारा संरक्षण एवं प्रदूषण पर नियंत्रण तथा जन जागरूकता कार्यक्रम निम्नवत आयोजित किया जाना प्रस्तावित है:-

1- अभियान के उद्देश्यः-

अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैः-

(क) गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में वानस्पतिक आच्छादन बढ़ाने एवं मृदाक्षरण को रोकने हेतु वृहद स्तर पर पौधरोपण हेतु " गंगा हरितिमा अभियान" ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में तथा विशेषकर गंगा नदी के दोनों आरे तटीय क्षेत्रों में एक कि0मी0 की चौडाई में सघन रूप से स्वच्छता एवं साफ सफाई, नदी का कटान रोकने हेतु मृदा एवं जल संरक्षण तथा लाभार्थीपरक योजनाओं से इन गांवों में समग्र विकास सुनिश्चित करने संबंधित कार्यवाही।

(ग) नदी की पारिस्थितिक एवं जैव-विविधता (Eco-System & Bio Diversity) में समृद्धि हेतु गतिविधियों का चिन्हांकन एवं उनके क्रियान्वयन में सरकारी विभागों एवं स्थानीय जन समुदाय की सहभागिता।

(घ) गंगा नदी के संरक्षण एवं नदी में उपलब्ध संसाधनों एवं समुचित उपयोग हेतु उपाय व जनजागरण।

(ड.) पर्यावरण हितैषी एवं किसानों की आय में वृद्धि हेतु कृषि पद्धतियों/जैविक खेती को अपनाने हेतु जन-जागरण।

(च) नदी में प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान एवं उनकी रोकथाम हेतु उपाय व जन-जागरण।

(छ) नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में जल संग्रहण व संरक्षण हेतु उपाय एवं जन-जागरूकता।

(ज) गंगा हरितिमा अभियान की पूर्ति के पश्चात गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के लिये भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

2- अभियान का क्षेत्रः-

गंगा नदी के **जलग्रहण क्षेत्र** तथा विशेषकर गंगा नदी के दोनों ओर विशेषकर 01 कि0मी0 चौड़ाई के अंतर्गत अवस्थित भूमि क्षेत्र को इस अभियान में लिया जायेगा तथा ऐसे सम्बन्धित ग्राम जो 01 कि0मी0 सीमा में अवस्थित हो, के पूरे भू-भाग को लिया जायेगा। अभियान के क्षेत्र भौगोलिक, भूदृश्य तथा मृदा स्थिति के अनुरूप होगें। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बहाव के 27 जिलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। गंगा हरितिमा अभियान की पूर्ति के पश्चात गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के क्षेत्रों के लिये भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अभियान की अवधिः-

अभियान का आयोजन दिनांक 21 मार्च, 2018 (अन्तर्राष्ट्रीय वन दिवससे (प्रारम्भ हो चुका है, जो 16 सितम्बर, 2018 (विश्व ओजोन दिवस तक किया जायेगा। (इस अभियान के दौरान विशिष्ट दिवसों/पर्वों के उपलक्ष्य पर गंगा संरक्षण जागरूकता एवं हरितिमा संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगीं। विशिष्ट दिवसों/पर्वों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0	दिनांक	दिवस/पर्व	आयोजन/गतिविधि का विवरण
1	07.04.2018	विश्व धरोहर दिवस	प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर गंगा नदी के संरक्षण हेतु जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। गोष्ठी एवं चैपाल आयोजित कर कृषि, सामुदायिक, सार्वजनिक एवं निजी आवासीय भूमि पर वृक्षारोपण व फलोद्यान विकास हेतु लाभार्थीन्मुख योजनाओं के संबंध में जागरूकता हेतु प्रस्तुतीकरण। कार्यक्रम में निजी पौधशालाओं के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा।
2	22.04.2018	पृथ्वी दिवस एवं गंगा सप्तमी	स्थानीय निवासियों द्वारा चैपालों/बैठकों का आयोजन, वेबसाईट पर आॅनलाईन पंजीयन एवं गंगा नदी में प्रदूषण के कारकों, स्रोतों पर चर्चा एवं स्थानीय स्रोतों एवं कारकों का चिन्हांकन एवं प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित सांकेतिक गतिविधियों का संचालन। कार्यक्रम में निजी पौधशालाओं के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा।
3	24.05.2018	गंगा दशहरा	गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित फिल्म/डाक्यूमेंटरी का प्रदर्शन, गंगा आरती, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण एवं समुदाय के सहयोग से स्वच्छता अभियान एवं घाटों की

http://shasanadesh.up.nic.in

			सफाई आदि।
4	05.06.2018	विश्व पर्यावरण दिवस	गंगा नदी के संरक्षण के संबंध में संगोष्ठी/जन संवाद बैठकों का आयोजन तथा 'गंगा हरितिमा अभियान'' की प्रगति के संबंध में समस्याओं एवं सुझावों का संकलन। कार्यक्रम में निजी पौधशालाओं के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा।
5	01 से 07.07.2018	वन महोत्सव	सरकारी विभागों, संस्थाओं, कृषकों, छात्रों, सैनिकों व जन सामान्य के सहयोग से सरकारी/सार्वजनिक/कृषकों की मेढ़ एवं भूमि पर वृक्षारोपण।
6	01.08.2018	विश्व मित्रता दिवस	सरकारी विभागों, संस्थाओं, कृषकों, छात्रों, सैनिकों व जन सामान्य के सहायोग से सरकारी/ सार्वजनिक/कृषकों की मेढ़ एवं भूमि पर वृक्षारोपण तथा वृक्ष मित्रता का संकल्प।
7	12.08.2018	विश्व युवा दिवस	सरकारी विभागों, संस्थाओं, कृषकों, छात्रों, सैनिकों व जन सामान्य के सहयोग से सरकारी/सार्वजनिक/कृषकों की मेढ़ एवं भूमि पर वृक्षारोपण।
8	15.08.2018	स्वतंत्रता दिवस	गंगा नदी के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय महत्व के संबंध में सम्मेलन एवं वृक्षारोपण।
9	26.08.2018	रक्षाबन्धन	रक्षाबन्धन के अवसर पर पौधों/वृक्षों को रक्षा सूत्र (राखी) बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेना।
10	05.09.2018	शिक्षक दिवस	विद्यालयों में ईको क्लब के माध्यम से गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को रेखांकित करते हुए स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जल-मल एवं उत्प्रवाह शोधन, जैविक खेती के संबंध में संगोष्ठियों का आयोजन एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा सुसंगत योजनाओं का प्रदर्शन एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			कार्यक्रम में निजी पौधशालाओं के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा।
11	16.09.2018	विश्व ओजोन दिवस	राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर "गंगा हरितिमा अभियान" के संबंध में सम्मेलन एवं "गंगा हरितिमा अभियान" में विशिष्ट योगदान करने वाले समुदायों/ व्यक्तियों/ संस्थाओं का सम्मान/ प्रमाण पत्र/बैज प्रदान किया जाना। कार्यक्रम में निजी पौधशालाओं के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा।

4- अभियान की रूपरेखाः-

1. अभियान के दौरान गंगा नदी के संरक्षण हेतु गंगा नदी के **जलग्रहण क्षेत्र** एवं गंगा नदी के दोनों ओर विशेषकर 1 कि0मी0 (एक कि0मी0) की सीमा में स्थित वन, सामुदायिक, सार्वजनिक एवं कृषि भूमि पर वृहद हरितिमा संवर्धन का कार्य सम्बन्धित विभागों तथा जन जागरूकता एवं जन सहयोग के माध्यम से किया जायेगा।
2. इस अभियान में गंगा संरक्षण की विभिन्न मूल विषयों के आधार पर कार्यवाही एवं जन जागरूकता कार्यक्रम सम्बन्धित विभागों द्वारा आयोजित किये जायेंगे।
3. यह अभियान गंगा के संरक्षण के साथ-साथ समाज को जागरूक एवं गतिशील करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं/संस्थानों को इस अभियान से जुड़कर गंगा नदी के संरक्षण में सहयोग करने हेतु अवसर प्राप्त होगा।
4. इस अभियान से सम्बन्धित लघु फिल्मों, गंगा आरती, गीत इत्यादि का निरूपण कराकर उसका वृहद प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
5. अभियान के दौरान जन जागरूकता कार्यक्रमों गंगा संरक्षण के मूल विषयों पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. अभियान के दौरान स्कूलों एवं कॉलेजों में अभियान से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

<u>5- अभियान के प्रस्तावित क्रियाकलाप/गतिविधियां</u> –

हरितिमा संवर्धन (नोडल विभाग - वन एवं वन्यजीव विभाग)

वृक्षारोपण एवं हरितिमा संवर्धन कार्यों हेतु वन एवं वन्यजीव विभाग, नोडल विभाग होगा। प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन एक कार्यकारी समूह का गठन कर अभियान से सम्बन्धित वृक्षारोपण एवं हरितिमा संवर्धन कार्यक्रमों के अनुश्रवण किया जायेगा। कार्यकारी समूह के गठन संबंधी शासनादेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं।

(1) <u>गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र एवं गंगा नदी के दोनों ओर एक कि0मी0 की सीमा में वृक्षारोपण</u>-

अभियान क्षेत्र के जिलाधिकारियों द्वारा वन एवं वन्यजीव विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के माध्यम से गंगा नदी के **जलग्रहण क्षेत्र** एवं गंगा नदी के दोनों ओर एक कि0मी0 की सीमा में वन, सामुदायिक, कृषि, सार्वजनिक एवं निजी आदि भूमि चिन्हित कर वन एवं वन्यजीव, उद्यान, ग्राम्य विकास, आयुष विभाग की प्रचलित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कराया जायेगा।

अभियान क्षेत्र में वृक्षारोपण संबंधी विभिन्न योजनाओं के द्वारा वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा शासन स्तर से शासनादेश के माध्यम से जिलाधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(2) <u>कार्बन आफसेटिंग हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वृक्षारोपण</u>

वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थलों में एफारेस्टेशन-रिफारेस्टेशन क्लीन डेवलेपमेंट मेकेनिज़्म की दृष्टि से उपयुक्त स्थलों पर कार्बन आफसेटिंग वृक्षारोपण किये जाने हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भी अनुरोध किया जायेगा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वेबसाईट में उपलब्ध वृक्षारोपण स्थलों के डिजिटल डाटाबेस से वृक्षारोपण स्थल का चयन किया जा सकेगा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा इन वृक्षारोपणों की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार एफारेस्टेशन-रिफारेस्टेशन क्लीन डेवलेपमेंट मेकेनिज़्म (AR-CDM) परियोजनायें तैयार कर संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) सर्टिफाइड कार्बन इमिशन रेशियो (CERs) प्राप्त किया जाना अनुमन्य होगा। इससे संबंधित कार्यवाही पर्यावरण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-183/55-2-2018/09(रिट)/2016, दिनांक 13.03.218 के अनुसार की जायेगी। उक्त शासनादेश वन एवं वन्यजीव विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(3) **<u>एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना-</u>** निजी भूमि, विशेषकर शहरों एवं ग्रामों में अवस्थित आवासीय भूमि, पर वैयक्तिक रूप से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु **"एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना"**प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा न्यूनतम एक वृक्ष रोपित किया जाना लक्षित है। रोपित किये जाने योग्य पौध निकटवर्ती वन एवं उद्यान विभाग तथा निजी पौधशाला से सशुल्क प्राप्त की जायेगी। इस योजना में सहभागिता हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा एन0आई0सी0 द्वारा विकसित की गई वेबसाईट पर ऑनलाईन निःशुल्क पंजीयन कराया जायेगा तथा वर्षाकाल-2018 में वृक्षारोपण किये जाने के उपरान्त रोपित वृक्ष की फोटो स्थल के जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स के साथ इस हेतु विकसित किये जाने वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। रोपित पौधे के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व पंजीकृत व्यक्ति का होगा। उक्त योजना में सहभागिता करने वाले व्यक्ति को **"गंगा सेवक"** के रूप में मान्यता दी जायेगी तथा गंगा सेवक बैज व प्रमाण पत्र वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) **<u>अन्य गतिविधियाँ:-</u>**

<u>(i) अभियान हेतु प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय जन समुदायों की भागीदारी</u>

गंगा हरितिमा अभियान के अवसर पर अन्तराष्ट्रीय वन दिवस (दिनांक 21.03.2018) से विश्व ओजोन दिवस (दिनांक 16.09.2018) तक गंगा तट पर स्थित प्रदेश के 27 जनपदों में गंगा नदी के संरक्षण हेतु विभिन्न वानिकी एवं अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । इन 27 जनपदों के 130 विकास खण्डों में प्रभात फेरियां, नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं गोष्ठियों के आयोजन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस अभियान को जनांदोलन का रूप देने हेतु महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, सैनिकों सहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समाज के समस्त वर्गों एवं विभिन्न संगठ (स्वैच्छिक संगठन सहित) व संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

इस अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जायेगा। अभियान में सहभागिता करने वाले व्यक्तियों तथा सहयोगी स्वयंसेवकों को विभाग द्वारा पंजीकृत कर पहचान चिन्ह/बैज इत्यादि प्रदान किया जायेगा। अभियान के विषय आधारित जागरूकता गीत का सृजन कर उनके माध्यम से इस अभियान का विशेष प्रचार-प्रसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इस अभियान की ब्रांडिंग हेतु लोगो तैयार कराया जायेगा।

अभियान को घर-घर तक पहुॅचाने एवं प्रत्येक प्रदेशवासी का अपना कार्यक्रम बनाने हेतु सोशल मीडिया, वेबसाइट, इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स को इस अभियान में सम्मिलित किया जायेगा। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, स्वंयसेवी संस्थाए तथा यूनीसेफ की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

गंगा हरीतिमा अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु अभियान अवधि में विशिष्ट 13 दिवसों/पर्वों में गंगा किनारे स्थित 27 जनपदों में जनपद स्तर तथा इनके सभी विकास खण्डों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

(ii) **<u>ईको क्लबों की भागीदारी</u>**- विद्यालयों में ईको क्लब के माध्यम से गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को रेखांकित करते हुए स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जल-मल एवं उत्प्रवाह शोधन, जैविक खेती के संबंध में संगोष्ठियों का आयोजन एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा सुसंगत योजनाओं का प्रदर्शन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में ईको क्लब की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। पर्यावरण अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 895/55-पर्या-2-2017-48(पर्या)/2001 दिनांक- 18 जनवरी, 2018 के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 2014 के पूर्व के शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति में जिला वनाधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है जो ईको क्लबों के माध्यम से निम्न कार्य स्कूलों में सम्पन्न करायेंगे। ईको क्लबों के कार्य एवं गतिविधियां निम्नवत् हैः-

- मास्टर ट्रेनर द्वारा बच्चों को पर्यावरण एवं उसके घटकों के बीच सम्बन्धों की जानकारी दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- पर्यावरणीय मुद्दों को स्वानुभव द्वारा जानने के लिए विभिन्न वानिकी/ईको पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण।
- पर्यावरणीय रैली का आयोजन।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता।
- पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों पर विभिन्न पर्यावरणीय दिवसों पर प्रतियोगिता का आयोजन।
- राज्य/जिले स्तर पर 'ईको क्लब' की गतिविधियां आयोजित कराकर सर्वोत्तम 'ईको क्लब' को पुरस्कृत किया जायेगा।
- प्राकृतिक रंग व औषधीय प्रसाधन बनाना सीखना।
- आगन्तुकों को चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और सार्वजनिक उद्यानों में मार्गदर्शन या सहायता हेतु स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना।
- विद्यालय में छोटी फल-वाटिका, बीज-बैंक, वृक्षोद्यान आदि की शुरूआत कर उसकी देखभाल करना।
- पर्यावरण-मित्र स्कूल (ग्रीन स्कूल) के मॉडल की संरचना को प्रदर्शित करना।
- वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर एवं अन्य 5 वानिकी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रभाग स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर एवं पर्यावरण में रूचि रखने वाले प्रभाग स्तर से चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

प्रत्येक जिले में स्थापित ईको क्लबों को इस कार्य हेतु रू0 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। सुसंगत शासनादेश संलग्न है।

(iii) <u>निजी पौधशालाओं की सक्रिय भागीदारी</u>:-

गंगा नदी के किनारे स्थित 27 जनपदों में निजी पौधशालाओं को वृक्षारोपण अभियान में वृहद रूप से जोड़ा जाएगा।

निजी पौधशालाओं को वन विभाग द्वारा विकसित की गई मोबाईल ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जायेगा तथा इन पौधशालाओं से पौध बिक्री की सूचना ऐप के माध्यम से वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने वाली निजी पौधशालाओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iv) <u>वेबसाईट का विकास</u>- एन0आई0सी0 एवं वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा अभियान के समस्त गतिविधियों के आयोजन एवं अनुश्रवण हेतु एक वेबसाईट/मोबाईल ऐप का भी विकास किया जायेगा तथा संबंधित विभागों, निजी पौधशालाओं तथा कृषकों को इस अभियान से संबंधित डाटा अपलोडिंग एवं कार्यों के अनुश्रवण हेतु आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण विशेषकर जन सहभागिता से वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुगम उपलब्धता एवं उसकी जानकारी जन सामान्य को होना आवश्यक है। इस अभियान हेतु तैयार की जा रही वेबसाईट/मोबाईल ऐप में राजकीय एवं निजी क्षेत्र की पौधशालाओं में प्रजातिवार पौधों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी संकलित करने हेतु सरकारी विभागों एवं निजी पौधशालाओं को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ताकि उनके द्वारा पौधों की उपलब्धता से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट/मोबाईल ऐप पर अपलोड की जा सके। वेबसाईट/मोबाईल ऐप में पौधों की उपलब्धता का डाटाबेस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जायेगा। इस अभियान हेतु विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से निजी एवं राजकीय पौधशालाओं के पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। इसी प्रकार वेबसाईट/मोबाईल ऐप पर किसानों, वृक्षारोपण हेतु इच्छुक व्यक्तियों, सहयोगी व्यक्तियों एवं संस्थाओं/संस्थानों के पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

(v) <u>व्यक्तियों तथा संस्थाओं/संस्थानों द्वारा सहभागिता की प्रक्रियाः</u>-

(अ) ''गंगा हरितिमा अभियान'' हेतु तैयार की जाने वाली वेबसाईट में व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा सहभागिता हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा रखी जायेगी जिसके माध्यम से अभियान की गतिविधियों को प्रायोजित करने अथवा गतिविधियों हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु व्यक्ति एवं संस्था पहल कर सकते हैं।

विभिन्न संस्थाओं/संस्थानों द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सी0एस0 आर0)/अन्य मदों से किये गये वृक्षारोपण को स्मृति वन का स्वरूप दिया जायेगा।

(ब) सामूहिक रूप से की जाने वाली गतिविधियों में, जिनका चिन्हांकन एवं समन्वय वेबसाईट के माध्यम से किया जायेगा, व्यक्ति सहयोग कर सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(स) अभियान के आयोजन तथा उसके संचालन में संस्था/संस्थान सहयोगी के रूप में जुड़ने हेतु आगे आ सकते हैं।

(द) अभियान को गति देने हेतु निर्धारित गतिविधियों में से एक या अधिक गतिविधियों के संचालन का दायित्व इन व्यक्तियों/संस्था/संस्थानों द्वारा लिया जा सकता है।

(ल) व्यक्तियों तथा संस्थाओं/संस्थानों को गतिविधियों के प्रयोजन हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु एवं संचालन में सहयोगी के रूप में जुड़ने हेतु आवश्यक प्रकिया का निर्धारण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा किया जायेगा।

6- अन्य विभागों के दायित्व

विभिन्न विभागों के दायित्व के सम्बन्ध में विवरण आगे के प्रस्तरों में दिया जा रहा है। विभिन्न विभाग अपने स्तर से आवश्यक शासनादेश निर्गत करेंगे:-

(i) पंचायती राज विभाग

अभियान क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों में अभियान से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन तथा ठोस एवं द्रव्य अवशिष्ट का प्रबन्धन किये जाने हेतु ग्राम गंगा सेवा समितियों का गठन किया जाना ।

- गंगा सेवा समितियों द्वारा जिला गंगा समिति के निर्देशन में अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। संबंधित ग्राम प्रधान इन समितियों के अध्यक्ष होंगे। संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
- स्थानीय लेखपाल, महिला समूह के सदस्य के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्मिकों को जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।
- अभियान से सम्बन्धित कार्य में रूचि रखने वाले स्थानीय निवासियों/ संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- विभाग द्वारा अभियान क्षेत्र के गांवों को विभागीय कार्यक्रमों से संतृप्त किया जायेगा।

(ii) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

- अभियान के पूर्व एवं अभियान के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो जिंगल, चलचित्र गृहों में लघु फिल्मों का प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से वृहद प्रचार-प्रसार।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- अभियान से संबंधित लघु फिल्मों, गंगा आरती, गीत इत्यादि का निरूपण कराकर उसका वृहद प्रचार-प्रसार।

(iii) <u>संस्कृति विभाग</u>

- अभियान के दौरान जन जागरूकता कार्यक्रमों गंगा संरक्षण की थीम पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(iv) <u>बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग</u>

- अभियान के दौरान स्कूलों एवं कॉलेजों में अभियान से संबंधित गतिविधियों का आयोजन।

(v) <u>युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग</u>

- अभियान से संबंधित गतिविधियों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(vi) <u>महिला कल्याण विभाग</u>

- अभियान से संबंधित गतिविधियों में महिलाओं/ महिला समाख्या/ महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- विभाग द्वारा अभियान क्षेत्र के गांवों को विभागीय कार्यक्रमों से संतृप्त किया जायेगा।

(vii) **<u>ग्राम्य विकास विभाग</u>**

- मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना, मुख्यमंत्री सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण योजना तथा ग्राम्य विकास के अन्य योजनाओं से अभियान क्षेत्र के गांवों का समग्र विकास ।

(viii) **<u>समाज कल्याण विभाग</u>**

- पेंशन योजनाओं सहित सभी लाभार्थीपरक योजनाओं से अभियान क्षेत्र के गांवो का संतृप्तिकरण।

(ix) **<u>कृषि विभाग</u>**

- कृषक लाभपरक योजनाओं से अभियान क्षेत्र के गांवो का संतृप्तिकरण तथा जैविक खेती का व्यापक प्रचार-प्रसार।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(x) **<u>उद्यान विभाग</u>**

- विभिन्न उद्यानिक मिशन सहित अन्य लाभार्थी उन्मुक योजनाओं के अन्तर्गत अभियान क्षेत्र में वृक्षारोपण करना तथा जन सहभागिता एवं प्रचार-प्रसार कर उद्यान विभाग के कार्यक्रम का प्रसार।

(xi) **<u>सिंचाई विभाग</u>**

- गंगा नदी की सहायक नदियॉ यथा वरूणा, आमी, अरिल, सोत, तमसा, गोमती,

  गर्रा, खन्नौत आदि जो गंगा नदी को पूर्व में प्रचुर मात्रा में जलराशि प्रदान करती रही है, वर्तमान में जल की कमी के कारण मृत प्राय हो गयी है। इन नदियों को पुनर्जीवित करने से इन नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र की पारिस्थितिकी में संतुलन के साथ ही गंगा नदी के प्रवाह में भी वृद्धि होगी।अभियान के दौरान इन समस्त नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र के नगरों/ग्रमों में इनके संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन एवं पुनर्जीवन के प्रयास सिंचाई विभाग द्वारा किये जायेगें, जो इस हेतु नोडल विभाग होगा।

(xii) **<u>आयुष विभाग</u>**

- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत औषधीय पादपों की कृषि हेतु अभियान क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षित करके कृषक समूह/कृषि सहकारिता समूह/ स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके माध्यम से इनकी कृषि को बढ़ावा दिया जायेगा। इससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं पारम्परिक कृषि के स्थान पर हर्बल एवं जौविक कृषि हेतु क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। अभियान क्षेत्र में आयुष ग्राम भी विकसित किये जा सकेगें। अभियान के माध्यम से गंगा नदी के प्रति जनश्रद्धा एवं जनभावनाओं को जोड़कर इन गॉवों के लोगों को जागरूक कर आयुष पैथी, (आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी/योग एवं नेचुरोपैथी) को ग्रामवासियों की दिनचर्या एवं उनकी जीवनशैली से जोड़कर उन्हें स्वस्थ्य रखे जाने में मदद मिलेगी।

<u>7- अभियान के अन्तर्गत गठित समितियां</u>

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियान के सफल संचालन, मार्ग दर्शन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निम्न प्रकार की समितियां कार्य करेंगी:-

(1) <u>शीर्ष समिति</u>

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निम्नवत् एक शीर्ष समिति गठित की जाती है:-

क्र0	पद नाम	शीर्ष समिति में पद नाम
1	मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	संबंधित विभाग के मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)	सदस्य

इस शीर्ष समिति द्वारा अभियान का समग्र रूप से मार्गदर्शन किया जायेगा तथा अभियान के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा एवं अनुश्रवण भी किया जायेगा।

उक्त समिति द्वारा सहायतार्थ उपयुक्त एवं इच्छुक विशेषज्ञ व्यक्ति एवं संस्थाओं (जो इस अभियान में प्रतिभाग करने के इच्छुक हो) को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांकन के आधार पर चिन्हित कर सलाहकार के रूप में सम्मिलित करते हुए एक मार्ग दर्शक मण्डल का गठन किया जायेगा।

(2) <u>"उ0प्र0 गंगा समिति"</u>

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उपधारा-1 तथा 3 के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-का0आ0-1187(अ), दिनांक 07.04.2017 के द्वारा उ0प्र0 राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति, जिसे उ0प्र0 गंगा समिति भी कहा गया है, गठित है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, उ0प्र0 है। इस समिति में प्रमुख सचिव वन के साथ-साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव पदेन सदस्य नामित है। अत: उक्त समिति के ही माध्यम से गंगा हरितिमा अभियान का राज्यस्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। उक्त समिति के गठन की अधिसूचना वन एवं वन्यजीव विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(3) **<u>जिला गंगा सुरक्षा समिति</u>** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उपधारा-1 तथा 3 के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की आदेश संख्या-का0आ0-1878(अ), दिनांक 12.06.2017 के द्वारा जनपद बदायू, आदेश संख्या-का0आ0-3902(अ), दिनांक 18.12.2017 के द्वारा जनपद मेरठ, आदेश संख्या-का0आ0-3903(अ), दिनांक 18.12.2017 के द्वारा जनपद रायबरेली, आदेश

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-का0आ0-3904(अ), दिनांक 18.12.2017 के द्वारा जनपद भदोही, आदेश संख्या-का0आ0-3905(अ), दिनांक 18.12.2017 के द्वारा जनपद मुरादाबाद, आदेश संख्या-का0आ0-2245(अ), दिनांक 18.07.2017 के द्वारा जनपद रायबरेली, आदेश संख्या-का0आ0-2246(अ), दिनांक 18.07.2017 के द्वारा जनपद कासगंज, आदेश संख्या-का0आ0-2247(अ), दिनांक 18.07.2017 के द्वारा जनपद उन्नाव, आदेश संख्या-का0आ0-2248(अ), दिनांक 18.07.2017 के द्वारा जनपद कानपुर नगर, आदेश संख्या-का0आ0-2343(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद वाराणसी, आदेश संख्या-का0आ0-2344(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद शाहजहॉपुर, आदेश संख्या-का0आ0-2345(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद सम्भल, आदेश संख्या-का0आ0-2346(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद मिर्जापुर, आदेश संख्या-का0आ0-2347(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद कौशाम्बी, आदेश संख्या-का0आ0-2348(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद कनौज, आदेश संख्या-का0आ0-2349(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद हरदोई, आदेश संख्या-का0आ0-2350(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद गाजीपुर, आदेश संख्या-का0आ0-2351(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद फर्रूखाबाद, आदेश संख्या-का0आ0-2352(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद चंदौली, आदेश संख्या-का0आ0-2353(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद बिजनौर, आदेश संख्या-का0आ0-2355(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद अमरोहा, आदेश संख्या-का0आ0-2356(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद इलाहाबाद, आदेश संख्या-का0आ0-2357(अ), दिनांक 27.07.2017 के द्वारा जनपद बुलन्दशहर, आदेश संख्या-का0आ0-2744(अ), दिनांक 23.08.2017 के द्वारा जनपद बलिया, आदेश संख्या-का0आ0-2745(अ), दिनांक 23.08.2017 के द्वारा जनपद फतेहपुर, आदेश संख्या-का0आ0-2746(अ), दिनांक 23.08.2017 के द्वारा जनपद हापुड़ तथा आदेश संख्या-का0आ0-2747(अ), दिनांक 23.08.2017 के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ हेतु जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त समितियों में अन्य प्राधिकारियों के साथ-साथ संबंधित सम्भागीय निदेशक, सामाजिक वन विभाग को सदस्य-संयोजक नामित किया गया है। उक्त जिला गंगा सुरक्षा समिति के ही माध्यम से गंगा हरितिमा अभियान से संबंधित समस्त गतिविधियों का आयोजन किया

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। इस समिति के सहयोग हेतु जिलाधिकारी द्वारा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी नामित किया जा सकता है।

(5) ग्राम गंगा सेवा समिति

अभियान क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में अभियान से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किये जाने हेतु ग्राम गंगा सेवा समितियों का गठन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा। इन समितियों में संबंधित ग्राम प्रधान अध्यक्ष होंगे। संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे। स्थानीय लेखपाल, महिला समूह के सदस्य के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्मिकों को जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा। अभियान से सम्बन्धित कार्य में रूचि रखने वाले स्थानीय निवासियों/संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। गंगा सेवा समितियों द्वारा जिला गंगा समिति के निर्देशन में अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

8- वृक्षारोपण माडल

वृक्षारोपण का माडल वृक्षारोपण संहिता तथा विभिन्न योजनाओं के माडल के अनुरूप होंगे।

9- वृक्षारोपण पंजिका का संधारणः-

सभी वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण पंजिका संधारित की जायेगी। कृषकों द्वारा कराये जाने वाले रोपण कार्य का रिकार्ड रखा जाएगा। एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना से संबंधित जियो टैगिंग व अन्य रिकार्ड भी वेबसाईट पर संधारित किये जायेगें।

10- निरीक्षण तथा अनुश्रवणः-

विभिन्न अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के पूर्व, वृक्षारोपण के समय तथा वृक्षारोपण के पश्चात नियमित रुप से निरीक्षण किया जायेगा। वृक्षारोपण का मूल्यांकन 03 वर्ष के उपरान्त मूल्यांकन शाखा द्वारा किया जाएगा। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा अनुश्रवण के उपरान्त वृक्षारोपण का मूल्यांकन करके आवश्यकतानुसार संस्तुति की जाएगी। अन्य विभागों के कार्य का निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग के द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा इस अभियान के समस्त वृक्षारोपण से सम्बन्धित चयनित समस्त स्थलों की जी0पी0एस0 मैपिंग करायी जायेगी तथा वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का डिजिटल डाटाबेस वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित गतिविधियों की वेबसाईट के द्वारा सेटलाईट/गूगल इमेजरी के माध्यम से अनुश्रवण की व्यवस्था भी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- <u>वित्तीय व्यवस्था</u>-

अभियान के आयोजन हेतु नोडल विभाग को उ0प्र0 वन निगम द्वारा रू0 20 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा भविष्य में वित्तीय आवश्यकता के अनुसार विभागीय मंत्री जी के अनुमति से उ0प्र0 वन निगम से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। आयोजन में मितव्ययिता रखी जायेगी। अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों यथा नदी व जल संरक्षण,स्वच्छता, कृषि, जैविक कृषि, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, सरकारी, सार्वजनिक, कृषिकों की मेढ़ व भूमि पर वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों हेतु संबंधित विभागों की प्रचालित योजनाओं की धनराशि का उपयोग किया जायेगा। इस अभियान के कार्यों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयं सेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों एवं वैयिक्तक माध्यम से अनुदान प्राप्त करने अथवा/तथा प्रयोजित कराये जाने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। तद्नुसार प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम को पत्र संख्या- 364/14-5-2018-107/2014, दिनांक 20.03.2018 द्वारा निर्देश निर्गत कर दिया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वय सेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों एवं वैयक्तिक माध्यम से अनुदान प्राप्त करने एवं उसके व्यय किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर पृथक से आदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा निर्गत किये जायेगें।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, राजस्व, वित्त, नियोजन, नगर विकास, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स।
2. महानिदेशक/निदेशक/आयुक्त, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, संस्कृति विभाग, बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, महिला कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, राजस्व परिषद ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0/समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।

आज्ञा से ,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।